


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:कार्यालय आदेश:--

राजस्थान सावक सेवा (पुनराकृत वतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार निम्न व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय पद स्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्या० पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I,II,III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	स्व. शौभा गौड़, भटिण्डा (लूणी) जोधपुर	जीव विज्ञान	11.10.1964	14.11.1987 व.अ	डीपीसी	30 वर्षीय	पी.एम. एल-14	पी.एम. एल-14	14.11.2017

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक:- 26.11.19

क्रमांक: शिंविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/2019-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
3. संबंधित प्रधाना
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर